-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 08.08.2026 की देर शाम थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति बीहड़पुरवा नरैनी रोड़ पर अवैध तमंचा लिए घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आलोक पुत्र विनोद निवासी बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 214/26 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मु0 ऐश खॉ
2. कां0 अजय यादव
3. कां0 आशु सिंह